HAPUR POLICE

प्रेस नोट

थाना - सिंभावली दिनांकः- 17.10.2026

थाना सिंभावली पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशु के मांस व अवशेषों को परिवहन करने में प्रयुक्त मारुति कार SX-4 (कीमत करीब 78,000/- रुपए) को जब्त किया गया।

कार्यवाहीः-

दिनांक 19/20.10.2024 की रात्रि को थाना सिंभावली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नयाबांस से रमपुरा के जंगल में जाने वाले रास्ते से प्रतिबंधित पशु का कटान कर उसके मांस व अवशेषों के परिवहन करने हेतु मारुति कार SX-4 प्रयुक्त हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंभावली पर मु0अ0सं0 294/2024 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा मारुति कार SX-4 के जब्तीकरण हेतु थाना प्रभारी सिंभावली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई थी एवं रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) हापुड़ महोदया के आदेश के अनुपालन में मारुति कार SX-4 (कीमत करीब 78,000/- रुपए) को जब्त किया गया है।

जब्त किये गये वाहन का विवरणः-

एक मारुति कार SX-4 रजि0 नं0 DL 9C Y 9145